भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5955
उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026
9 चैत्र, 1948 (शक)

खिलाड़ियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

5955. श्री बैनी बेहननः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में युवा खिलाड़ियों के समक्ष आ रही चुनौतियों से अवगत है, जिनमें पर्याप्त अवसंरचना, वित्तीय सहायता और कोचिंग सुविधाओं की कमी शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए / उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, युवा खिलाड़ियों के लिए खेल अवसंरचना एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता का कोई राष्ट्रीय स्तर का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने राज्य अथवा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियों एवं वृतिक में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को युवा खिलाड़ियों को निधियों, छात्रवृत्तियों एवं प्रोत्साहनों के वितरण में देरी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना की उपलब्धता से संबंधित युवा खिलाड़ियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, युवा एथलीटों के लिए खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन करने, वित्तीय सहायता, कोचिंग सुविधाएँ, प्रशिक्षण सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ, वजीफे बढ़ाने, समय पर

प्रोत्साहन राशि का वितरण और युवा खिलाड़ियों को धनराशि, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि के वितरण में देरी के संबंध में शिकायतों का समाधान करने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को लागू करता है, जो खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, अवसंरचनाओं, एथलीट सहायता और अन्य सुविधाओं संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हैं:

i. खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ);
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र। (एनसीएसएसआर)

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये मांग-आधारित स्कीमें हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र निकायों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड क्रमशः mdsd.kheloindia.gov.in और nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की विभिन्न खेल प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता और वजीफे प्रदान करता है। पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए इन प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, साई स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत, पहचाने गए 2,904 एथलीटों को कोचिंग, आहार, आवास और चिकित्सा बीमा के खर्चों

के साथ 10,000 रुपये का मासिक आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए) मिलाकर प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलावा, अनुकूलित प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, कोचिंग, उपकरण और खेल विज्ञान सहायता के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत, कोर समूह एथलीटों को 50,000 रुपये प्रति माह और विकास समूह एथलीटों को 25,000 रुपये प्रति माह का ओपीए मिलता है।

खिलाड़ियों को धनराशि और छात्रवृत्ति के वितरण में कभी-कभी देरी की सूचना मिली है। इसके समाधान स्वरूप, सरकार ने सीधे और समय पर धनराशि जारी करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लागू किया है, पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया है। इन उपायों के माध्यम से एथलीटों को वित्तीय संवितरण की दक्षता और समयबद्धता में काफी सुधार हुआ है।
